न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 19/2021 GCMS No.—2021/00028

1. बंशी पुत्र रामनाथ, उम्र करीब 53 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कोल्याणा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. किसन लाल पुत्र रामनाथ, उम्र करीब 53 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कोल्याणा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील कार्यालय जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 विरूद्व आदेश दिनांक 16.03.2021 प्रकरण अर्न्तगत धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बंशी मुकदमा नं0 104/21 में पारित आदेश के विरूद्व।

———

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते * जयपुर *

निर्णय दिनांकः 24.08.2021

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 16.03.2021 से अपीलांट्स द्वारा ग्राम कौल्याणा, तहसील जमवारामगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 529 रकबा 5.20 हैक्टेयर किस्म गै.मु.नाला में से 0.45 हैक्टेयर भूमि पर पडत कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट्स को अतिचारी मानकर उक्त आराजी किस्म गै.मु.नाला भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान की 0.90 रूपये का 50 गुना 45 रूपये बतौर शास्ति आरोपित कर अतिक्रमी अपीलांट्स को मौके से बेदखल करने तथा अतिक्रमी अपीलांट को मौके से बेदखल करने एवं साथ ही अपीलांट्स पश्चातवर्ती अतिचार होने के कारण अपीलांट को एक माह (30 दिवस) की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलांट्स ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट्स के विरूद्ध पारित किया है, वह वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज काबिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचित किये बिना मुकम्मिल तामील व जवाबदेही का अवसर दिये आनन–फानन में अपीलांट को पुनः अतिक्रमी मानकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.03.2021 पारित कर बेदखल, तथा सिविल जेल कारावास 1 माह के दण्ड से दण्डित करते हुए आदेश पारित कर दिया। अपीलांट स्वयं अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। बिना सीमा ज्ञान करवाये अपीलांट का अतिक्रमण स्पष्ट नहीं होता है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रोपर तामील नहीं करवायी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध सर्वथा झूठी रिपोर्ट पेश की गई एवं अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली कमांक 104/21 उनवानी सरकार बनाम बंशी, किसनलाल में दिनांक 16.03.2021 को पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट्स ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै.मु.नाला दर्ज है। अपीलांट के विरूद्व धारा 91(3) के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण होने से अपीलांट्स को राजकीय भूमि से बेदखली के आदेश दिनांक 16.03.2021 को पारित किये गये है। अपीलांट्स पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण अपीलांट को एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। अपील अपीलांट्स खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का ग्राम कौल्याणा तहसील जमवारामगढ स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 529 रकबा 5.20 हैक्टेयर किस्म गै0मु0नाला में से 0.45 हैक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण/कब्जा होने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किए गए

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

जिसके पश्चात अपीलांट अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट स्वयं अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को राजकीय भूमि से बेदखल कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण एक माह की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिनांक 16.03.2021 को पारित किए गए। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार राजस्थान भू राजस्व अधि0 की धारा 91 के तहत अपीलांट के विरूद्व कार्यवाही की है जो नियमानुसार उचित है। न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है किन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने अवसर प्रदान नहीं किया गया और अपीलांट की अनुपस्थिति में ही उसे राजस्थान भू राजस्व की धारा 91(3) के तहत एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलांट को दी गई एक माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा प्रकरण संख्या 104/2021 बउनवानी सरकार बनाम बंशी, किसनलाल में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2021 से एक माह (30 दिवस) सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति. कलक्टर-प्रथम,
जयपुर